राज्यादेश सं० 1।प्रा०आ०-2-3।91—2785।सा.पु०
बिहार सरकार
साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा),
पटना।रांची बिहार

पटना-15, दिनांक 4 दिसम्बर, 2000

अनौपचारिक रूप से परामर्शित,
द्वारा—वित्त विभाग
विषय—आपदा राहत कोष का गठन एवं संचालन की प्रक्रिया।

महाशय,

11वें वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त हो गयी है। अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2000-2001 से 2004—2005 तक के लिये केन्द्र सरकार द्वारा आपदा राहत कोष के गठन का अनुदेश प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु 11वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदेशों के आलोक में वर्ष 2000-2001 से 2004-2005 तक आपदा राहत कोष के गठन सैद्धान्तिक रुप से करने का निर्णय सरकार ने लिया है।

2. 11वें वित्त आयोग द्वारा आपदा राहत कोष के लिये राशि का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है :—

क्रम सं०	वर्ष		केन्द्रांश	राज्य सरकार का अंशदान	योग
1	2		3	4	5
1	2000-2001	..	92.74	30.91	123.66
2	2001-2002	..	97.38	32.46	129.84
3	2002-2003	..	102.25	34.08	136.33
4	2003-2004	..	107.36	35.79	143.15
5	2004-2005	..	112.73	37.58	150.30
	योग	..	512.46	170.82	683.28

3. इस प्रकार आपदा राहत कोष में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

4. भारत सरकार से प्राप्त हिस्से की राशि राज्य सरकार अपने बजट के प्राप्तियों के तौर पर लेगी और शीर्ष 1601-भारत सरकार से सहायता अनुदान—01—गैर योजना अनुदान—109—आपदा सहायता कोष के अंशदान के लिये अनुदान के रुप में लेखाबद्ध किया जायगा। आपदा राहत कोष का मुख्य बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदा के लिये साहाय्य—05—आपदा राहत कोष—101—आपदा राहत कोष में स्थानान्तरण में उपबंधित करना होगा। यह राशि मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य तथा अन्य रक्षित निधि—111—आपदा राहत कोष में स्थानान्तरित की जायेगी एवं इस राशि के संबंध में 11वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में अग्रतर कार्रवाई अपेक्षित होगी। जहाँतक प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में व्यय करने का प्रश्न है, यह राज्य के बजट के संगत शीर्ष 2245 विभिन्न उप शीर्षों में उपबंधित राशि से की जायेगी। इस प्रकार किये गये व्यय से कितनी राशि आपदा राहत से सामंजित की जायेगी उसका निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित आपदा राहत को समिति तय करेगी। जितनी राशि आपदा राहत कोष से सामंजित की जायेगी उतनी राशि मुख्य शीर्ष 8235—111—आपदा राहत कोष में डेबिट करते हुए मुख्य शीर्ष 2245—05—901 आपदा राहत कोष से घटाये मद में क्रेडिट करनी होगी।

5. आपदा राहत कोष के प्रशासन एवं संचालन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग के संकल्प संख्या 1।प्रा०आ०-2-0-8।91—64।सा०पु द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति पूर्ववत कार्यशील रहेगी तथा कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी।

विश्वासभाजन,
गिरीश शंकर,
सचिव-सह-साहाय्य आयुक्त।

ज्ञापांक 2785।सा०पु०, पटना-15, दिनांक 4 दिसम्बर 2000

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सचिव-सह-साहाय्य आयुक्त।

ज्ञापांक 2785।सा०पु०,
पटना-15, दिनांक 4 दिसम्बर 2000

प्रतिलिपि—श्रीमती शीला प्रसाद, निदेशक, वित्त योजना प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को इस कार्यालय के पत्रांक 65 दिनांक 27 मार्च 1991 के क्रम में प्रतिलिपि संलग्न एवं उनके पत्रांक 43(4) पी०एफ० 1199 दिनांक 23 मार्च 2000 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सचिव-सह-साहाय्य आयुक्त।

ज्ञापांक 2785-सा०पु०
पटना-15, दिनांक 4 दिसम्बर 2000

प्रतिलिपि—मुख्य सचिव, बिहार सरकार।विकास आयुक्त-सह-योजना परामर्शी।वित्त आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सचिव-सह-साहाय्य आयुक्त।